न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **03 / 2023**

नवील अहमद पुत्र खान मौहम्मद जाति मस्लिम कायम खानी निवासी वार्ड नम्बर 13 बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0 (9982717522)

.....................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

.....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी
अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1.	श्री अजीत सिंह तंवर	अभिभाषक	प्रार्थी
2.	श्री उदयभान सिंह, अपर लोक अभियोजक	अभिभाषक	अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक :– 01.09.2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र दिनांक 31.08.2023 को प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है ना ही प्रार्थी के वाहन से किसी प्रकार की आवश्यक वस्तु का अनुचित परिवहन किया गया है। प्रार्थी के अधिकार एवं स्वामित्व के जिस वाहन में कथित डीजल का परिवहन करना बताया है वह डीजल आवेदक के निजी वाहन ट्रेक्टर, जे.सी.बी. एवं अन्य वाहन के उपयोग का है।
2. यह कि प्रार्थी के स्वामित्व का वाहन भारवाहक वाहन है जिसके थाने पर खड़ा रहने से वाहन खराब हो जावेगा एवं प्रार्थी को काफी नुकसान होगा।
3. यह कि उक्त प्रकरण के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है एवं अनुसंधान अधिकारी को वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है।
4. यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कतई मिथ्या एवं आधारहीन है ना ही रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि आवेदक के स्वामित्व के वाहन में कितना डीजल था।
5. यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मौतबीर सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा पेश करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आर.जे.53 जीए 0472 प्रार्थी [illegible] पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी [illegible] थाना मेहाड़ा से प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जाच रिपोर्ट क्रमांक 4499 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0144 / 2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा वाहन पिकअप नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

आर.जे.53 जीए 0472 के रजिस्टर्ड मालिक नवील अहमद को तलब कर उक्त गाड़ी के मूल कागजात रजिस्ट्रेशन, ऑनलाईन इन्श्योरेन्स की प्रति व चालक हेमराज का ड्राईविंग लाईसेंस जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया तथा वाहन मालिक को नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एमवी एक्ट का दिया जाकर लिखित जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। मुकदमा हाजा में जप्तशुदा पिकअप गाड़ी आर.जे.–53 जीए–0472 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है। मुकदमा हाजा में अनुसंधान जारी है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पिकअप गाड़ी आर.जे.–53 जीए–0472 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन से अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में धूप बरसात में खड़े रहने से उसके रंग रोगन उड़ने एवं खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–53 जीए–0472 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सरकार पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की रिपोर्ट क्रमांक 4499 दिनांक 01.09.2023 के अनुसार वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–53 जीए–0472 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है। अधिवक्ता सरकार पक्ष ने बहस के अन्त में कथन किया कि जब वाहन से संबंधित अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अनुसार वाहन पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–53 जीए–0472 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0144/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी आर.जे.–53 जीए–0472 को उसके रजिस्टर्ड मालिक प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0144/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त शुदा पिकअप गाड़ी RJ 53 GA 0472 को उसके [illegible] 7,00,000/– (अंकेही सात लाख रूपये) का जमानतनामा एवं इतनी ही राशि का [illegible] प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जाता है। [illegible] की प्रति सहित थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:18 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी